भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1660
जिसका उत्तर शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

आधार के साथ मतदान पहचान पत्र को लिंक करना

1660. श्री रितेश पाण्डेय :
श्री प्रद्युत बोरदोलोई :
श्री सय्यद ईमत्याज जलील :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) निर्वाचन कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के लागू होने के बाद से आधार से लिंक किये गए मतदाता पहचान पत्रों का ब्यौरा क्या है ;
(ख) क्या मतदाता पहचान पत्र को जोड़ना स्वैच्छिक है और मतदाताओं से सहमति लेने के बाद लिंक किया जाता है तथा किसी मतदाता द्वारा सहमति वापस लेने की स्थिति में इसे रद्द भी किया जा सकता है और यदि हां, तो मतदाताओं से सहमति प्राप्त करने के तरीके को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ग) क्या निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता पहचान पत्र लिंक करने के लिए कोई लक्ष्य दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(घ) क्या सरकार ने मतदाता पहचान पत्र लिंक करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ङ) क्या जिन मतदाताओं का मतदाता पहचान पत्र आधार से लिंक नहीं है, उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसका आधार क्या है ; और
(च) क्या सरकार ने मतदाता डेटाबेस के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : निर्वाचन विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2021, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को स्वैच्छिक आधार पर पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से विद्यमान या भावी मतदाता से आधार संख्या प्रदान करने की अपेक्षा करने के लिए अनुज्ञात करता है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 4 जुलाई, 2022 के अपने अनुदेश के अधीन सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 1 अगस्त, 2022 से स्वैच्छिक आधार पर विद्यमान और भावी मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने का कार्यक्रम शुरू किया है। आधार को मतदाता पहचानपत्र से जोड़ना स्वैच्छिक है और फॉर्म 6ख में आधार प्रमाणीकरण के लिए मतदाता से सहमति प्राप्त की जाती है। सहमति वापस लेने का कोई उपबंध नहीं है।

(ग) : आधार को लिंक करने की प्रक्रिया जारी है और आधार को ईपीआईसी से जोड़ने के लिए कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है।

(घ) : अधिसूचना संख्या का.आ. 2803(अ), दिनांक 17 जून, 2022 में 1 अप्रैल, 2023 को उस तारीख के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जिसकों या जिससे पहले प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 के अनुसार अपनी आधार संख्या सूचित कर सकता है।

(ङ) : जी नहीं।

(च) : आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, फायदों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 'आधार डेटा वॉल्ट' के नाम से ज्ञात अलग भंडार गृह में सभी आधारों संख्याओं के केंद्रीकृत भंडारण को अनिवार्य कर दिया है। ईसीआई, यूआईडीएआई द्वारा विहित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करता है और आधार संख्या को अपने डेटाबेस में संग्रहीत नहीं करता है। आधार संख्या का उपयोग केवल प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए किया जाता है और ईसीआई, यूआईडीएआई आधार डेटा बेस से कोई व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त नहीं करता है।

****